

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2017 बगतावर सिंह बनाम सरदार सिंह अर्तगत आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी

वकुलाय पक्षकारण उपरिथत प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र राजस्व वाद संख्या 3/2014 निर्णय दिनांक 04.07.2016 तथा रिव्यु प्रार्थना पत्र संख्या 50/2016 अर्तगत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी प्रहलाद सिंह बनाम भवरसिंह ने पेश किया है जिसकी विषयवस्तु इस प्रकार है कि ग्राम खाराबेरा पुरोहितान के खसरा न 927 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा का राजस्व वाद जो दिनांक 04.07.2016 को डिकी किया गया है को खारिज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वादीगण ने न्यायालय को गुमराह करते हुये महत्वपूर्ण तथ्य को छूपाते हुये डिकी प्राप्त की है जो अपास्त किये जाने योग्य है प्रार्थी सं. 1 हमीर सिंह का पुत्र है तथा इनका सर्वगवास दिनांक 02.1.2000 को हो चुका है इसी प्रकार प्रार्थी सं 2 व 3 भूर सिंह के वारिश है तथा प्रार्थी सं 4 व 5 जवाहर सिंह के वारिश है प्रार्थी सं 6 मुकन सिंह का वारिश है वर्तमान में प्रार्थीगण के पूर्वजो का नाम राजस्व रिकर्ड में दर्ज है प्रार्थीगण सं 2 से 6 का वर्षा पूर्व देहान्त हो चुका है वादीगण द्वारा न्यायालय को अन्धरे मे रख कर अनुचित लाभ लेने की गरज से मृत व्यक्तियों का पक्षकार बनाया एवं डिकी अर्जित कि है प्रतिवादीगण 1 से 17 सभी फौत हो चुके है और राजस्व रिकर्ड मे पूर्वजो के नाम ही दर्ज है प्रतिवादीगण 1 से 17 वर्तमान के वारिशान धोलेरिया शासन के निवासी थे तथा वर्तमान में वही निवास करते है इसलिए झूठे निवास पते इत्यादि लिख कर डिकी हासिल की है जो खारिज होने योग्य है प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ कियोकि प्रतिवादीगण 1 से 17 मृत व्यक्ति थे और उनके वारिसान को पक्षकार नही बनाया इस कारण तामील को प्रयाप्त आधार मानने से प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है इसलिए डिकी दिनांक 4.7.2016 को खारिज फरमावा जावें पत्रावली पर धारा 5 मयाद का प्रार्थना पत्र पेश ह पत्रावली पर पक्षकारों पर मृत्यु प्रमाण पत्र हमीर सिंह मृत्यु दिनांक 2.01.2000 तथा गोरधन सिंह मृत्यु दिनांक 2.6.1987 अमर सिंह मृत्यु दिनांक 18.10.2003 रामसिंह मृत्यु दिनांक 6.1.2001 किशोर सिंह मृत्यु दिनांक अपृठनीय है हमने इस प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षो को सूना तथा पत्रावली मय मूल दावे की पत्रावली की गहराई से अधोपान किया पत्रावली पर उपलब्ध इन मृत्यु प्रमाण पत्र को ऐसा आभास हो रहा है कि वादीगण द्वारा पक्षकारों की मृत्यु की जानकारी होने के बावजूद न्यायालय को धोखे मे रखा तथा मरे हुये व्यक्तियों के विरुद्ध डिकी आदेश प्राप्त कर लिये जबकि वादीगण का यह दायित्व था कि वह मूल दावा दिनांक 13.1.2014 को पेश करने के पश्चात दोराने कार्यावाही वादीगण के मृतक कि कायम मुकाम की कार्यावाही करतें जबकि उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष कायाम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नही किया । अगर पक्षकारों द्वारा न्यायालय को सही समय पर सही जानकारी नही उपलब्ध कराई जायेगी तो न्यायिक प्रक्रिया में अनुचित व्ययधान होगा और न्यायिक प्रक्रिया भी इससे बाधित रहेगी जैसा की हमारे सामने प्रार्थना पत्र में यह भी आया है की प्रतिवादीगण सभी फौत हो चुके है और मूल दावे में उनके कायम मुकाम की कोई कार्यावाही नही की गई है इस तर्क के संबंध में हमारा ऐसा मानना है कि जो पक्षकार न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आए किसी प्रकार का वे अनुतोष पाने के अधिकारी नही है इस संबंध में हमारा यह मानना हे कि मूल दावे में जो निर्णय पारित किया है की देखने मात्र से मृत व्यक्तियों के विरुद्ध परित किया है जो अपने आप में शून्य है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व वाद संख्या 3/2014 नारायण सिंह बनाम सरदारसिंह अर्तगत धारा 88 188 आरटीएक्ट निर्णय व डिकी दिनांक 4.7.2016 को अपास्त किया जाता है आदेश बसरे इजरास लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

LSO
03/11/2017
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लुणा